मोहल्लों में अब भी शक्कर 70 रु किलो

थोक भाव में कमी का उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा फायदा

कंचन शिवपुरिया

भोपाल, 27 अगस्त. थोक बाजार में शक्कर का भाव 68 रुपए से घटकर 63 रुपए किलो पर आ गया है, लेकिन शहर के कई इलाकों में खुदरा ग्राहक अब भी 65 से 70 रुपए किलो चुकाने को मजबूर हैं.

नीलबड़ और एमपी नगर में शक्कर 68 से 70 रुपए किलो बिक रही है, सूरज नगर में 67 और पुराने शहर के कुछ बाजारों में 63 रुपए किलो तक मिल रही है. त्योहार से पहले एक ही शहर में 7 से 8 रुपए किलो का अंतर लोगों के महीने के बजट पर असर डाल रहा है. पिछले डेढ़ महीने में शक्कर 22-25 रुपए महंगी हुई है, भोपाल में रिकॉर्ड 75 रुपए किलो तक पंहुचा है. करोंद स्थित साहू किराना के संचालक राजेंद्र साहू ने बताया कि उनके यहां शक्कर 66 रुपए किलो है और बाजार में माल की कोई कमी नहीं है. दुकानदार के मुताबिक, सरकार द्वारा बाहर से कोटा मंगाने की चर्चा के बाद थोक भाव में नरमी आई है और आगे भी दाम नीचे आने चाहिए.

भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के महामंत्री विवेक साहू के अनुसार, पिछले दो दिन में थोक भाव पहले करीब साढ़े तीन रुपए और फिर दो रुपए घटे हैं. उन्होंने बताया कि शहर में रोज करीब 2 हजार क्विंटल शक्कर की खपत होती है और आवक पर्याप्त है. महासंघ ने बारिश से गन्ने के उत्पादन पर असर और एथेनॉल के लिए गन्ने के इस्तेमाल को तेजी के कारणों में बताया है. उन्होंने कहा कि बाजार में माल की कमी नहीं है, फिर भी बीच के कुछ कारोबारी और सटोरिये भाव को ऊपर-नीचे करने में भूमिका निभाते हैं. उनके मुताबिक, सटोरियों की खरीद-बिक्री और भाव बढ़ने की अटकलों से बाजार में कृत्रिम तेजी बनती है. इसका असर थोक से ज्यादा खुदरा ग्राहक पर पड़ता है. उन्होंने स्टॉक और असामान्य खरीदारी की निगरानी की जरूरत बताई. हालांकि करोंद में भाव 66 रुपए होने के बाद भी दूसरे इलाकों में राहत नहीं पहुंची है. नीलबड़ निवासी शारदा ने कहा कि चाय, दूध और त्योहार की मिठाई के लिए शक्कर जरूरी है, इसलिए महंगे भाव का सीधा असर घर के खर्च पर पड़ रहा है. 'हमने त्योहार की खरीद और घर में बनने वाली मिठाइयों की मात्रा कम करने का सोचा है.

इनका कहना है...

एमपी नगर में काम करने वाले मोंटी ने कहा कि दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग दाम से ग्राहक परेशान हैं. 'कहीं 65 और कहीं 70 रुपए किलो है. ऑनलाइन भाव स्थानीय बाजार से भी ज्यादा दिख रहे हैं.' उनका कहना है कि लोग जरूरत भर शक्कर खरीद रहे हैं. व्यापारियों का कहना है कि जमाखोरी या स्टॉक की कमी जैसी स्थिति सामने नहीं आई है. फिर भी सवाल यही है कि थोक में आई गिरावट का लाभ खुदरा ग्राहक तक कब पहुंचेगा.

बुजुर्ग दंपति और दो लोगों के खातों से निकाले 6 लाख

- गैस कंपनी का डीलर बताकर कलर पेंट संचालक को ठगा
- राशि ट्रांसफर के नाम पर निकाले डेढ़ लाख रुपए

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 27 अगस्त. शहर के अलग-अलग थाना इलाकों में चार लोगों के साथ साइबर ठगी की वारदात हुई हैं. एक बुजुर्ग दंपति के अलवा दो अन्य लोगों के खातों से जालसाजों ने करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी कर दी. अवधपुरी इलाके में एक बुजुर्ग दंपति के चार बैंक खातों से 2 लाख की राशि सायबर जालसाजों ने उड़ा दिए.

दंपति के मोबाइल पर आए मैसेज को देखने के बाद उन्हें ठगी का पता चला. 71 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति, सौम्या पार्क लैण्ड में रहते हैं. उन्होंने पुलिस को बताया कि 5 अगस्त को सुबह रीवा जिले में उनके एक बैंक खाते से 50 हजार की राशि कटने का मैसेज मोबाइल पर आया. इसके कुछ देर बाद उनके भोपाल में बैंक शाखा में खुले खाते से 1 लाख 47 हजार 491 रुपये कट गए. बुजुर्ग ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी के दोनों एकाउंट से जालसाजों ने कुल 30 हजार 213 रुपए निकाले. इसके साथ ही टीटी नगर इलाके में गैस कनेक्शन के नाम पर जालसाजों ने 2 लाख दस हजार रुपये की ठगी एक दुकानदार से कर दी. माता मंदिर निवासी 43 वर्षीय व्यक्ति कलर पेंट की दुकान चलाते हैं. बीते कई दिनों से वह ग्रीन गैस कनेक्शन लेने की जानकारी जुटा रहे थे. कुछ दिन पहले अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें फोन किया. कॉलर ने खुद को गैस कंपनी का कर्मचारी बताया और रजिस्ट्रेशन के लिए तेरह रुपये ट्रांसफर के लिए राजी किया. दुकानदार ने दो अलग-अलग खातों से रुपए भेजने की कोशिश की लेकिन राशि ट्रांसफर नहीं हो पाई. कुछ समय बाद दुकानदार के खातों से 2 लाख रुपए की कटौती का मैसेज आया. इसके अलावा भैंसाखेड़ी रहवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी 2 लाख 6 हजार रुपये की साइबर ठगी हुई.

महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

नवभारत न्यूज

बैरसिया, 27 अगस्त. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आह्वान पर गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और भृष्टाचार को लेकर नगर में पैदल मार्च निकाल भाजपा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर प्रदर्शन किया.

ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा ने कहा कि गैस सिलेंडर ,खाद्य तेल और शक्कर के दाम बढ़ते जा रहे हैं. बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं. पेट्रोल -डीजल सहित रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों से गरीब - मध्यमवर्गीय लोगों का जीना दुभर हो चुका है. इस अवसर पर कांग्रेस नेता बहादुर सिह राठौड़ , लोकेश दांगी, मदन सिह ठाकुर, राजू धाकड़ , रवि करोसिया, अंकुर राणा, अखंड प्रताप सिंह, लोकेश यादव, रघु यादव, भूपेंद्र मीणा, वीरेंद्र दांगी, पीसी साहू , दीपक यादव, जगदीश सेन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे.

दो व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारियों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन

5 सितंबर को दिल्ली में मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 27 अगस्त. कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए मप्र के दो व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारियों के चयन पर उन्हें बधाई दी है.

केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास में उत्कृष्टता श्रेणी में देशभर से चयनित प्रशिक्षण अधिकारियों की सूची में मप्र के दो अधिकारियों को स्थान मिला है. प्रदेश से रीना गुप्ता, शासकीय आईटीआई, उज्जैन तथा ज्योतिबाला राठौर, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला), इंदौर का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 के लिए किया गया है. रीना गुप्ता का चयन दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किया गया है. उन्होंने दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वहीं ज्योतिबाला राठौर का चयन व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किया गया है.

रिटायर्ड पुलिस निरीक्षक से राशि वसूली का आदेश निरस्त

जबलपुर. हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्त निरीक्षक के पेंशनरी लाभ से दो लाख 78 हजार 743 रुपये की वसूली के आदेश कोकानून के विपरीत माना है. एकलपीठ ने राशि वसूली के आदेश को निरस्त करते हुए कहा है कि यदि कोई राशि वसूली गई है कि तो उसे नब्बें दिनों के अंदर सभी बकाया भुगतान के साथ वापस किया जाये. भोपाल निवासी याचिकाकर्ता राम स्वरूप शर्मा की ओर से कहा गया कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी के पेंशनरी लाभ से इस तरह की वसूली नहीं की जा सकती. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह फैसले तथा हाईकोर्ट की फुल बेंच के जगदीश प्रसाद दुबे मामले में दिए निर्णय का हवाला दिया. साथ ही राज्य शासन के 29 जून 2015 और 8 नवंबर 2017 के परिपत्रों का भी उल्लेख किया गया.

रिटायर्ड महिला एसआई को हाईकोर्ट से राहत

जबलपुर, 27 अगस्त. मप्र हाईकोर्ट से एक रिटायर्ड महिला सब इंस्पेक्टर को बड़ी राहत मिली है.

जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने दायर अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए अनावेदकों को निर्देशित किया है कि वह याचिकाकर्ता के वेतन से काटी गई राशि चार सप्ताह के भीतर वापस करें, यदि ऐसा नहीं किया गया तो अगली सुनवाई पर डीजीपी कैलाश मकवाणा व तत्कालीन पुलिस अधिकारी ममतेश माली को हाजिर होना होगा. एकलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को निर्धारित की है.

डीजीपी मकवाणा को पेश होने के निर्देश

हाईकोर्ट में यह अवमानना का मामला भोपाल की रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर लजवर खानम की ओर से दायर किया गया है. जिसमें कहा गया कि वह 30 अप्रैल 2016 को पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुई थीं. उनके वेतन से करीब 17 लाख रुपए की वसूली करने के निर्देश जारी किए गए थे. इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने 11 मई 2024 को फैसला सुनाते हुए याचिकाकर्ता के वेतन से काटी गई पूरी राशि वापस करने के निर्देश दिए थे.

20वें दिन भी धरने पर डटे रहे नर्सिंग छात्र

भोपाल. नर्सिंग काउंसिल भोपाल के खिलाफ एनएसओ छात्र संगठन का धरना गुरुवार को 20वें दिन भी जारी रहा. संगठन ने पुराने सत्र 2020, 2021 और 2022 के विद्यार्थियों की परीक्षा, परिणाम और छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने तथा नए सत्र की मान्यता देने से पहले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने की मांग की. संगठन के संस्थापक गोपाल पाराशर ने आरोप लगाया कि पुराने सत्रों के विद्यार्थियों की समस्याओं का अब तक समाधान नहीं हुआ है। 2026-27 सत्र के लिए कई नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है. संगठन का दावा है कि ऑनलाइन आवेदन में छह दर्जन से अधिक ऐसे नर्सिंग स्टाफ के दस्तावेज कॉलेजों में लगे मिले हैं, जो सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं.

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
सिविल न्यायालय बैरसिया जिला भोपाल
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड,बैरसिया भोपाल

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
आरसीएस ए/39/2025

मुन्नालाल साहू बनाम बनाम कालूराम साहू

NEXT DATE 12.10.2026

प्रेषितिः-बबीता साहू पत्नि नरेन्द्र साहू निवासी शमशाबाद तहसील शमशाबाद जिला विदिशा म.प्र.

यह कि प्रार्थी मुन्नालाल साहू ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/39/2025 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/हाजिर होने के लये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 22-08-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। 1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायाधीश-निकिता पवार
व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड
सिविल न्यायालय बैरसिया जिला भोपाल

पश्चिम मध्य रेल

खुली ई-निविदा सूचना
सं. भोपाल/टीआरडी/ड्राइंग/डब्ल्यू.सी./487
दिनांक 25.08.2026

वरि मंडल विधुत इंजी./टीआरडी/पश्चिम मध्य रेल, भोपाल, भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए उनके समक्ष दर्शाई गई दिनांक व समय को ई-टेन्डर आमंत्रित करते है। संपूर्ण निविदा प्रपत्र तथा निविदा से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी वेवसाईट http://www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है, इस टेन्डर के लिये कोई मॅन्युअल ऑफर मान्य नही है। इस निविदा मे कोई आवश्यक संशोधन, यदि जरूरी हो, तो निविदा खुलने के पूर्व वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा। जिसे टेन्डर खुलने के दिन तक देखा जा सकता है **निविदा क्र.:** बीपीएल/टीआरडी/डीआरजी/डब्ल्यूसी/487, **कार्य का विवरण** : भोपाल डिवीजन ओएचई वर्क फॉर प्रोविजन ऑफ न्यू 6 मीटर फुट ओवर ब्रिज एट भोपाल स्टेशन (इलेक्ट्रिकल टीआरडी वर्क), **कार्य समाप्त करने अवधि की** : 06 माह, **अनुमानित लागत रु. में** : 61,76,622.71, **ईएमडी रु. में** : 1,23,500.00, **जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय** : 16/09/2026, को 11.00 बजे तक

कृते वरि. मंडल विद्युत इंजीनियर, टीआरडी
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं-C/JHS/158/GWI/WVMs/e-Auction/2026 दिनांकः 24.08.2026

ई-नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य)-झाँसी द्वारा निम्न दी गयी श्रेणियों के अनुसार ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है:-

श्रेणीः Misc-Static-Service- वाटर वेंडिंग मशीन आवंटन | **कैटलॉग संख्याः** JHS-WVM-SEPT

एसेट्स डिटेल्सः झांसी मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर वाटर वेंडिंग मशीन के ठेके हेतु ई-नीलामी

क्लस्टर/यूनिट्स (स्टेशन)	यूनिट का नाम	PF	लोकेशन
क्लस्टर-01 यूनिट-02 (ललितपुर)	LAR-01	01	किमी 1038/1A.लोहे के पानी की टंकी के पास
	LAR-02	2/3	किमी 1037/27 नए FOB के पास
यूनिट 01 (छतरपुर)	MCSC-01	01	LAR छोर की तरफ, 12 मीटर चौड़े FOB के नीचे
यूनिट 01 (डबरा)	DBA-01	01	पुराने FOB की सीढ़ियों के पास
क्लस्टर-01 यूनिट 02 (मुरैना)	MRA-01	01	वाटर बूथ संख्या-04 के पास
	MRA-02	2/3	वाटर बूथ संख्या-06 के पास
क्लस्टर-01 यूनिट 02 (महोबा)	MBA-01	01	द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय के सामने
	MBA-02	01	स्टेशन बिल्डिंग (SS कार्यालय) के पास,BNDA छोर

ई-नीलामी प्रारम्भ होने की तिथि व समयः दिनांक 11.09.2026 को समय- 10:00 बजे
ई-नीलामी समाप्त होने की तिथि व समयः दिनांक 11.09.2026 को समय- 11:10 बजे

नोटः उक्त ठेकों के आवंटन हेतु नीलामी केवल ऑनलाइन वेबसाइट- **www.ireps.gov.in** के **e-auction module** के माध्यम से की जाएगी। लॉट अनुसार विवरण उपर्युक्त कैटलॉग संख्या के अन्तर्गत उपलब्ध है। **1991/26 (D)**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

IDFC FIRST Bank

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	65545442 & 148296969	होम लोन	25-Jul-2026	4,69,196.10/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. कमल सिंह चौहान 2. माया बाई राजपूत

संपत्ति का पता: 58.55 वर्ग मीटर (लगभग 630 वर्ग फीट) की अचल संपत्ति/भूमि का वह सारा टुकड़ा और पार्सल, खसरा नंबर 163/1, पटवारी हल्का नं. 42/38, गांवः फुरतला, तहसीलः बाबई/माखन नगर, जिलाः होशंगाबाद/नर्मदापुरम, म.प्र.- 461661 पर स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार हैः पूर्वः बृजेन सिंह, पश्चिमः रघुवीर सिंह, उत्तरः सड़क/पथ, दक्षिणः विजय सिंह राजपूत।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक: 28.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

CHANGE OF NAME

I ALOK KUMAR NIGAM Son of LATE SHRI S. K. NIGAM holder of Passport No. Y4718684, here by declare that I have changed my name from ALOK NIGAM to ALOK KUMAR NIGAM.

पश्चिम मध्य रेल

No. C-BPL-PNU-DLX-110988
Date: 27.08.2026

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल में BOT (डीलक्स) पे एंड यूज शौचालयों के ठेके के लिए ई-ऑक्शन आमंत्रित की जाती है। ई-ऑक्शन के कैटलॉग IREPS पोर्टल www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध हैं। कैटलॉग का विवरण इस प्रकार है। **Sr. No. :** 01, **Catalogue number :** C-BPL-PNU-DLX-E, **Type of contract :** BOT (डीलक्स) Pay & Use TOILETS, **Lot No./Bid No. :** PnU-BPL-ET-Toi-27-26-1 (Pay and use Toilets), **Contract Period :** 15 Years (5479 day), **Date and time of close of e-auction :** 09.09.2026,12:30:00 सम्पूर्ण जानकारी अनुबंध की सामान्य शर्तें एवं अनुबंध की विशेष शर्तें (www.ireps.gov.in) पर उपलब्ध है। प्रतिभागी पोर्टल पर जाकर विवरण प्राप्त कर सकते है।

कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य)
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम FAIZAN MOHAMMAD था जो कि अब बदलकर MOHD FAIZAN KHAN हो गया है। अतः मुझे नये नाम MOHD FAIZAN KHAN से जाना-पहचाना जाए। Address: -H.NO.-51, Ramzano Manzil, Noor Mahal Road Bhapal (MP). 462001.

आम सूचना
दुर्गा गृह निर्माण, सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल
(पंजीयन क्रं. डी.आर.बी. 461)

सूचना

संस्था के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक, साधारण आमसभा दिनांक 30.08.2026 (रविवार) समय सुबह 09.30 बजे स्थान- सत्य साई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपलानी भोपाल नियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलानी भेल भोपाल पर आयोजित की गई है. जिसकी सूचना पृथक से डाक द्वारा सभी सदस्यों को भेजी गई है. अत: सभी सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थनीय एवं अनिवार्य है.

नोट- बैठक में भाग लेने हेतु जारी सूचना-पत्र अपने साथ अवश्य लावे, एवं फोटोयुक्त आई.डी. कार्ड अपने साथ अवश्य लावे.

भोपाल, दिनांक 28.08.2026

अध्यक्ष
दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

R.N.- 62270

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
"मिनी रत्न कम्पनी"
(कोल इण्डिया लिमिटेड का उपक्रम)

एसईसीएल/सोक्षे/उक्षेप्र/खैरहा/2026-27/150

सूचना

एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र के अंतर्गत खैरहा भूमिगत खदान हेतु ग्राम **खन्नाथ**, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल की अर्जित निजी भूमि के अंतर्गत अधोलिखित दर्शाए गए भूमि स्वामियों के नाम, भूमि आश्रितों के विभिन्न दस्तावेजों के अनुसार नाम का विवरण निम्नानुसार हैं -

भूमि स्वामी क्र.	धारा 9 (1) अधिसूचना वर्ष 2016-17 का खसरा क्रमांक	रेवन्यू रिकार्ड के अनुसार खसरे का रकवा (हे.)	खसरा के अनुसार अर्जित रकवा (हे.)	धारा 9 (1) अधिसूचना के समय भूमि स्वामी और पिता / पति का नाम	अवार्ड का मुआवजा पत्रक 1(A) क्रमांक	खसरा नंबर	रेवन्यू रिकार्ड के अनुसार खसरे का रकवा (हे.)	खसरा के अनुसार अर्जित रकवा (हे.)	रेवन्यू रिकार्ड के अनुसार खसरों का कुल रकवा (हे.)	कुल अर्जित रकवा (हे.)	मुआवजा पत्रक 1(A) के अनुसार भूमि स्वामी और पिता / पति का नाम	मुआवजा भुगतान के समय भूमि स्वामी और पिता / पति का नाम	रोजगार प्राप्त करते समय भूमि स्वामी और पिता / पति का नाम	रोजगार प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति का नाम, भूमि स्वामी से संबंध और जाति	भूमि आश्रित का दस्तावेजों में नाम: आधार कार्ड में नाम	रोजगार पंजीयन में नाम	राशन कार्ड में नाम	निवास प्रमाण पत्र में नाम	जाति प्रमाण पत्र में नाम	शिक्षा प्रमाण पत्र में नाम
1	226/2 234 240/2	0.249 0.712 0.257	0.249 0.712 0.257	सत्यभान सिंह पिता रामसिंह ना.बली पिता रामसिंह पिता शिवलाल पटेल	296	226/2 234 240/2	0.249 0.712 0.257	0.249 0.712 0.257	1.218	1.218	सत्यभान सिंह पिता रामसिंह ना.बली पिता रामसिंह पिता शिवलाल पटेल	सत्यभान सिंह पिता रामसिंह ना.बली पिता रामसिंह पिता शिवलाल पटेल	सत्यभान पिता रामसिंह पटेल	1. सत्यभान पटेल पिता रामसिंह पटेल, संबंध - स्वयं , जाति - कुर्मी (अ.पि.व.)	सत्यभान पटेल S/O रामसिंह पटेल	Satyabhan Patel	सत्यभान पटेल पिता रामसिंह पटेल	सत्यभान पटेल पिता रामसिंह पटेल	सत्यभान पटेल पुत्र रामसिंह पटेल	सत्यभान पटेल पिता रामसिंह पटेल
2	165 356 359 470 475	0.340 0.214 0.101 0.349 0.223	0.340 0.214 0.101 0.349 0.223	मनीराम पिता फूदनू	165	165 356 359 470 475	0.340 0.214 0.101 0.349 0.223	0.340 0.214 0.101 0.349 0.223	1.227	1.227	मनीराम पिता फूदनू	मनीराम पिता फूदनू	मनीराम पिता फूदनू	1. मुकेश कुमार पटेल पिता मनीराम पटेल , संबंध - पुत्र , जाति - कुर्मी (अ.पि.व.)	मुकेश कुमार पटेल S/O मनीराम पटेल	Mukesh Kumar Patel	मुकेश कुमार पटेल पिता मनीराम पटेल	मुकेश कुमार पटेल पिता मनीराम पटेल	मुकेश कुमार पटेल पुत्र मनीराम पटेल	मुकेश कुमार पटेल पिता मनीराम पटेल
3	36/5/2 37/5/2 289/1/2/2	0.101 0.073 0.127	0.101 0.073 0.127	भंगू पिता छोटेलाल पटेल	156	36/5/2 37/5/2 289/1/2/2	0.101 0.073 0.127	0.101 0.073 0.127	0.301	0.301	भंगू पुत्र छोटेलाल पटेल	भंगू पुत्र छोटेलाल पटेल	भंगू पुत्र छोटेलाल पटेल	1. संजय पटेल पिता भंगू पटेल, संबंध - पुत्र , जाति - कुर्मी (अ.पि.व.)	संजय पटेल S/O भंगु पटेल	Sanjay Patel	संजय पटेल पिता भंगु पटेल	संजय पटेल पिता भंगु पटेल	संजय पटेल पुत्र भंगु पटेल	संजय कुमार पटेल पिता भंगु पटेल
4	1167/2 1266/2	0.269 0.182	0.269 0.092	कमलेश सुरेन्द पिता छोटेलाल	27	1167/2 1266/2 (p)	0.269 0.182	0.269 0.092	0.451	0.361	कमलेश सुरेन्द पिता छोटेलाल	कमलेश सुरेन्द पिता छोटेलाल	कमलेश पिता छोटेलाल, सुरेन्द पिता छोटेलाल	1. जितेन्द्र कुमार पटेल पिता सुरेन्द्र प्रसाद पटेल, संबंध - पुत्र , जाति - कुर्मी (अ.पि.व.)	जितेन्द्र कुमार पटेल S/O सुरेन्द्र प्रसाद पटेल	Jitendra Kumar Patel	जितेन्द्र कुमार पटेल पिता सुरेन्द्र प्रसाद पटेल	जितेन्द्र कुमार पटेल पिता सुरेन्द्र प्रसाद पटेल	जितेन्द्र कुमार पटेल पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद पटेल	JITENDRA KUMAR PATEL S/O SURENDRA PRASAD PATEL
5	78 79	0.129 0.328	0.129 0.328	शिवलाल पिता श्यामसुन्दर	283	78 79	0.129 0.328	0.129 0.328	0.918	0.918	शिवलाल पिता श्यामसुन्दर	विमला पिता शिवलाल पटेल ,रामसिंह पिता शिवलाल पटेल, धूपकली माता शंखू पटेल,सुभद्रा माता शंखू पटेल, ओमकार माता शंखू पटेल, प्रेमिया बेवा शिवलाल पटेल,जावित्री माता शंखू पटेल, उमनिया पिता शिवलाल पटेल	रामसिंह पिता शिवलाल पटेल, धूपकली माता शंखू पटेल, सुभद्रा माता शंखू पटेल, ओमकार माता शंखू पटेल,प्रेमिया बेवा शिवलाल पटेल, जावित्री माता शंखू पटेल,उमनिया पिता शिवलाल पटेल, रोशन कुमार पटेल माता विमला बाई पटेल,अरविन्द कुमार पटेल माता विमला बाई पटेल	1. देवकी पटेल पति रामचंद्र पटेल पिता रामसिंह पटेल, संबंध - पोती , जाति - कुर्मी (अ.पि.व.)	Devaki Patel C/O Ramchandra Patel	Devaki Patel	देवकी पटेल पिता रामचन्द्र पटेल	देवकी पटेल पिता रामचन्द्र पटेल	देवकी पटेल पुत्री रामचन्द्र पटेल	देवकी पटेल पिता राम सिंह पटेल
	81	0.461	0.461			81	0.461	0.461						2. अंकुश कुमार पटेल माता उमनिया बाई पटेल पिता हेमराज पटेल, संबंध - नाती,जाति - कुर्मी (अ.पि.व.)	अंकुश कुमार पटेल S/O हेमराज	Ankush Kumar Patel	अंकुश कुमार पटेल पिता हेमराज पटेल	अंकुश कुमार पटेल पिता हेमराज पटेल	अंकुश कुमार पटेल पुत्र हेमराज पटेल	ANKUSH KUMAR PATEL S/O HEMRAJ PATEL
6	245 289/2 423	0.563 0.141 0.158	0.563 0.141 0.158	ददुआ पिता सुदामा	85	245 289/2 423	0.563 0.141 0.158	0.563 0.141 0.158	0.862	0.862	ददुआ पिता सुदामा	ददुआ पिता सुदामा	ददुआ पिता सुदामा	-	-					
कुल किता 19		4.977	4.887			कुल किता 19	4.977	4.887	4.977	4.887										

अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि स्वामियों/भूमि आश्रितों के नाम में विविधता/भू अभिलेख में विविधता एवं रोजगार प्रदान किये जाने के संबंध में यदि किसी को आपत्ति है तो प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर उपक्षेत्रीय प्रबंधक, राजेंद्रा-खैरहा उपक्षेत्र/महाप्रबंधक, सोहागपुर क्षेत्र के कार्यालय में लिखित रूप में आपत्ति दर्ज कराएं अन्यथा उपरोक्त भूमि स्वामियों/भूमि आश्रितों के रोजगार विषयक कार्यवाही अग्रेषित कर दी जाएगी।

SECL/26-27/121

उप क्षेत्रीय प्रबंधक,राजेन्द्रा खैरहा उपक्षेत्र, एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र